KRIBHCO EMPLOYEES SUPERANNUATION (PENSION) FUND TRUST
KRIBHCO BHAWAN, A 8 -10, SECTOR – 1, NOIDA – 201301

Date : 01.11.2022

SUBJECT: GUIDELINES FOR SUBMISSION OF LIFE EXISTENCE CERTIFICATE/ CLAIM FOR RETURN OF CAPITAL

Dear Member,

As you are aware by virtue of employee of KRIBHCO, you were the member of Superannuation Pension Scheme of Life Insurance Corporation of India taken by the Trust. Base on your claim form, LIC had fixed your pension as per option selected by you and a copy of Annuity Ledger Sheet is being sent to you when it was received from LIC.

As per existing scheme, LIC is providing the following options:-

Quote
"Option to choose pension:
1. Life pension ceasing at death. No purchase price shall be paid on death to beneficiary. No guaranteed payments.
2. Life pension with guaranteed payments for 5/10/15/20 years. No purchase price shall be paid on death or at end of 5/10/15/20 years guarantee. On survival to guaranteed payments pension shall be continued to be payable till life.
3. Life pension ceasing at death of member with Return of Capital (purchase price) to beneficiary along with group pension terminal bonus declared by LIC.
4. Joint Life and last survivor pensions to member and his/her spouse (without any guaranteed payments as in case of 1).
5. Joint Life and last survivor pension to member and his/her spouse with return of purchase price on death of last survivor along with group pension terminal bonus declared by LIC."

Unquote
As per rules of the LIC, a life existing certificate is required to be submitted to LIC and option wise details of the same is as under: -

1. Under option nos. 1, 2 and 4, a life existence certificate of annuitant is to be submitted to LIC every year.
2. Under option 3 where member opt for Return of Capital (ROC) after death of annuitant, a life existence certificate is required to be submitted 1st time to LIC after 5 year from pension started and there after once in 5 years. On death of annuitant, Purchase Price mentioned in Annuity Ledger Sheet will be paid to the nominee of the annuitant. In case, claim is not lodged on death of the annuitant and pension is remitted by LIC, the pension so released after expiry of the member will be deducted at the time of settlement of claim. Hence it is advisable to lodge claim on expiry of the member as soon as possible.
3. Under option 5 where member opt for Return of Capital after death of annuitants (Both member and spouse), a life existence certificate is required to be submitted to LIC once in 3 years. On death of annuitant (Member), it should be informed to the LIC immediately. Thereafter pension will be paid to the spouse. On death of both, member and spouse, Purchase Price mentioned in Annuity Ledger Sheet will be paid to the nominee of the annuitants. In case, claim is not lodged on death of the annuitants and pension is remitted by LIC, the pension so released after expiry of the annuitants will be deducted at the time of settlement of claim. Hence, it is advisable to lodge claim on expiry of the annuitants as soon as possible.

The life existence certificate should be sent by post or email directly to M/s. LIC of India as per address mentioned in the life existence certificate enclosed with the letter. It may also be noted that under option 3 and 5 where Return of Capital is opted, on expiry of annuitant(s), claim form should be submitted to the Trust through HR Department of the Society, i.e. KRIBHCO, for onward submission of claim to LIC. After processing the claim, amount (ROC) will be transferred by LIC directly to nominee's account.

The above information was provided to all members but it has been observed that many members/ spouses of the members do not submit life certificate on due dates resulting in stoppage of pension by the LIC. In some cases, due to lack of knowledge, nominee of the member/ spouse, in case of death of member/ spouse as the case may be, do not file claim papers and their accumulated fund lies with LIC as unclaimed.

All members are requested to make a note of the above guidelines and intimate their spouse/ nominee to claim pension/ return of capital from LIC after his/her death.

Thanking you,

(Laxmi Kant Dingliwala)
Executive Secretary

कृभको कर्मचारी सेवानिवृत्ति (पेंशन) निधि न्यास
कृभको भवन, ए 8-10, सेक्टर-1, नोएडा-201301

दिनांक : 01.11.2022

विषय : जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए दिशा निर्देश/पूंजी वापसी का दावा

प्रिय सदस्य,

जैसा कि कृभको कर्मचारी होने के नाते आप यह जानते हैं कि आप इस ट्रस्ट द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम से ली गई सेवानिवृत्ति पेंशन योजना के सदस्य थे। आपके दावा फार्म के आधार पर भारतीय जीवन बीमा ने आपके द्वारा चुने गए विकल्प के अनुसार आपकी पेंशन तय कर दी थी और भारतीय जीवन बीमा निगम से प्राप्त होने पर एन्युटी (वार्षिकी) लेजर शीट की एक प्रति आपको भेजी जा रही है ।

मौजूदा योजना के अनुसार भारतीय जीवन बीमा निगम निम्नलिखित विकल्प उपलब्ध करा रहा है:-

उद्धरण

'पेंशन चुनने का विकल्प :

1. मृत्यु होने पर जीवन पेंशन समाप्त। लाभार्थी की मृत्यु होने पर खरीद मूल्य अदा नहीं किया जाएगा। कोई गारंटीशुदा भुगतान नहीं।
2. गारंटीशुदा भुगतान के साथ 5/10/15/20 वर्ष तक जीवन पेंशन। मृत्यु होने पर या 5/10/15/20 वर्ष की गारंटी समाप्त होने पर खरीद मूल्य अदा नहीं किया जाएगा। जीवित रहने की स्थिति में गारंटीशुदा पेंशन भुगतान जीवन पर्यन्त मिलता रहेगा।
3. सदस्य की मृत्यु होने पर लाभार्थी को पूंजी (खरीद मूल्य) के साथ भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा घोषित समूह पेंशन आवधिक बोनस राशि की वापसी।
4. संयुक्त जीवन और शेष जीवित बचे सदस्य या उसके पति/उसकी पत्नी को पेंशन (क्रम संख्या 1 के अनुसार भुगतान की कोई गारंटी नहीं)
5. संयुक्त जीवन और शेष जीवित बचे सदस्य या उसके पति/उसकी पत्नी में अंतिम जीवित की मृत्यु होने की स्थिति में खरीद मूल्य के साथ भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा घोषित समूह पेंशन आवधिक बोनस की वापसी।

गैर उद्धरण

भारतीय जीवन बीमा निगम के नियमानुसार, भारतीय जीवन बीमा निगम को जीवन प्रमाण प्रस्तुत करना आवश्यक है और इसका विकल्पवार विवरण नीचे दिया गया है:-

1. विकल्प सं. 1, 2 व 4 के अंतर्गत एन्युटेंट (वार्षिकीदार) को प्रत्येक वर्ष भारतीय जीवन बीमा निगम को जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
2. विकल्प सं.3 जिसमें सदस्य ने एन्युटेंट (वार्षिकीदार) की मृत्यु के बाद पूंजी वापसी (आरओसी) का विकल्प चुना है उन्हें पेंशन प्रारम्भ होने के 5 वर्ष बाद पहली बार प्रस्तुत करना है और उसके बाद 5 वर्ष में एक बार भारतीय जीवन बीमा निगम को जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। एन्युटेंट (वार्षिकीदार) की मृत्यु होने पर, वार्षिकी लेजर शीट में उल्लिखित खरीद मूल्य वार्षिकीदार के नामित को अदा किया जाएगा। यदि, वार्षिकीदार की मृत्यु बाद वापसी राशि का दावा प्रस्तुत नहीं किया गया और भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा पेंशन जमा कर दी जाती है तो सदस्य की मृत्यु पश्चात जारी की गई पेंशन राशि को दावा निपटान के समय निपटान राशि में से काट लिया जाएगा। इसलिए यह सलाह दी जाती है कि सदस्य की मृत्यु होने के बाद शीघ्रातिशीघ्र राशि वापसी का दावा कर देना चाहिए।
3. विकल्प सं.5, जहां सदस्य ने वार्षिकीदारों (सदस्य और पति/पत्नी दोनों) की मृत्यु के पश्चात पूंजी (खरीद मूल्य) की वापसी का विकल्प चुना है तो भारतीय जीवन बीमा निगम को 3 वर्ष में एक बार जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। वार्षिकीदार (सदस्य) की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम को तुरंत सूचित किया जाना चाहिए। उसके बाद, पेंशन उसके पति/पत्नी को अदा की जाएगी। सदस्य और उसके पति/पत्नी दोनों की मृत्यु होने पर वार्षिकी लेजर शीट में उल्लिखित खरीद मूल्य राशि वार्षिकीदारों के नामित को अदा की जाएगी। यदि, वार्षिकीदारों की मृत्यु पश्चात वापसी राशि का दावा नहीं किया जाता है और भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा पेंशन राशि जमा करा दी जाती है तो वार्षिकीदारों की मृत्यु के पश्चात जमा कराई गई पेंशन राशि दावा निपटान राशि के समय समायोजित कर दी जाएगी। इसलिए यह सलाह दी जाती है कि वार्षिकीदारों की मृत्यु के पश्चात शीघ्राति शीघ्र वापसी राशि का दावा कर देना चाहिए।

जीवन प्रमाण पत्र डाक सेवा से या ई-मेल से सीधे ही भारतीय जीवन बीमा निगम को पत्र के साथ संलग्न जीवन प्रमाण पत्र में उल्लिखित पते पर भेजा जाना चाहिए। यह भी नोट किया जाए कि विकल्प सं. 3 तथा 5 जहां वार्षिकीदारों की मृत्यु होने पर पूंजी वापसी का विकल्प चुना है तो इस स्थिति में दावा फार्म कृभको अर्थात समिति के मानव संसाधन विभाग के माध्यम से ट्रस्ट (न्यास) को भेजना चाहिए ताकि भारतीय जीवन बीमा निगम को दावा प्रस्तुत किया जा सके। दावा प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात दावा राशि का भुगतान नामित व्यक्ति के बैंक खाते में भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा सीधे ही अंतरित किया जाएगा।

उपरोक्त जानकारी सभी सदस्यो को उपलब्ध करा दी गई थी परन्तु यह देखा गया है कि सदस्यों में से कई सदस्य पति/पत्नी निर्धारित तारीख तक अपना जीवन प्रमाण-पत्र जमा नहीं करते हैं जिसके परिणामस्वरूप भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा पेंशन रोक दी जाती है। कुछ मामलों में, जानकारी की कमी के कारण, सदस्य पति/पत्नी की मृत्यु होने पर सदस्य पति/पत्नी के नामित व्यक्ति जैसा भी मामला हो, दावा पत्र प्रस्तुत नहीं करते हैं और उनकी संचित निधि भारतीय जीवन बीमा के पास बेदावा रह जाती है।

सभी सदस्यों से अनुरोध है कि वे उपरोक्त दिशा-निर्देशों को नोट कर लें और अपने पति/पत्नी/नामित को सूचित करें कि उसकी मृत्यु के पश्चात भारतीय जीवन बीमा निगम को पेंशन/पूंजी वापसी का दावा प्रस्तुत करें।

सधन्यवाद,

(लक्ष्मीकांत डिंगलीवाल)
कार्यकारी सचिव